

सिद्ध

31-3-21

परावर्षी पक्ष को वकील प्राथम्य अर्ज
आवाज लगी है। प्राथम्य व वकील प्राथम्य
अर्ज। कोर्ट-2 आवाज लगी है। कोर्ट और
वके को उपस्थित नहीं। अतः परावर्षी अदम हाजरी
अदम केवी के खानिप की जाती है परावर्षी
मजबूर अर्ज से कोर्ट को दायित्व अर्ज है।



⓪